


06 .12.24

उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण राधेश्याम, नन्दकिशन, महेश चन्द, रमेश चन्द, सुरेश चन्द का प्रार्थना पत्र 20 (सी) आर0एल0आर. आवंटन नियम 1970 संशोधित नियम 2012 राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 31 (2) के अनुसार विधि द्वारा बाधित (वार्ड वाई लॉ) है। आर0एल0आर. आवंटन नियम 1970 संशोधित नियम 2012 राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 31 के अनुसार प्रार्थी ने एक लिखित नोटिस अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जारी किया जाना चाहिए था तथा दो माह समाप्ती के पश्चात् वाद मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था, साथ ही धारा 31 (2) के तहत अभिकथित वाद हेतु उत्पन्न होने की तारीख से छः माह के भीतर-भीतर उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 14.08.2022 को प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी पक्ष को नोटिस अर्न्तगत धारा 80 सी0पी0सी0 व धारा 31 कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अर्न्तगत दिनांक 01.07.2022 को जारी किया गया है, अर्थात् उक्त नोटिस प्रार्थी पक्ष द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् अप्रार्थी पक्ष को जारी किया गया है। प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त क्रम में पूर्व में भी 30/11/2017 में एक नोटिस अप्रार्थी पक्ष को जारी किया गया था। जिसका जबाब अप्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 10.01.2018 को प्रार्थी पक्ष को दिया जा चुका है। उक्त नोटिस वाद प्रस्तुत करने से चार वर्ष से अधिक समय पुराना है। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 31 (2) के अनुसार प्रार्थी पक्ष को छः माह की समयावधि में उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर देना चाहिए था, साथ ही वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त वाद आरजीयात अप्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा बाधित है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 31 (2) की छायाप्रति एवं आरजेटी सिविल 2024 (1) पेज 242 नजीर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र मन्जूर फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अर्न्तगत उपनियम 20 (सी) राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट आवंटन नियम 1970 संशोधन नियम 2012 के तहत प्रस्तुत किया है। जो विधिनुसार प्रस्तुत किया है, माननीय न्यायालय को प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आदेश 7 नियम 11 के तहत केवल अवरमेन्ट ऑफ प्लेन्ट ही देखा जाता है। विपक्षी का जबाब दरस्तावेज इत्यादि को नहीं देखा जा सकता। कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 31 (2) प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होती है। न ही उक्त अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय में सुनवाई से बाधित किया गया है, साथ ही वकील प्रार्थी ने 2014 (2) आरबीजे 565, आरबीजे (19) 2012, आरबीजे (16) 2009, 2016


6/12/24

आरबीजे 23, 2020 आरबीजे 695, 2018 आरबीजे 78, आरबीजे (10) 2003, आरबीजे (18) 2011, आरबीजे (26) 2019, आरबीजे (20) 2013, आरबीजे (11) 2004 नजीरे प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रायली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत उपनियम 20 (सी) आरएलआर आंवटन नियम 1970 संशोधित नियम 2012 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थी पक्ष ने कृषि उपज मण्डी यार्ड पट्टीकलां बामनवास के लिये निशुल्क दान की गयी भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दान पत्र दिनांक 19.01.1980 से पूर्व की स्थित बहाल करते हुये, राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार प्रार्थीगण के नाम अंकित किये जाने संबंधित रिलिफ चाही है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत केवल अवरमेन्ट ऑफ प्लेन्ट ही देखा जाता है। विपक्षी का जबाब दस्तावेज इत्यादि को नहीं देखा जा सकता। उक्त क्रम में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र कृषि उपज मण्डी यार्ड पट्टीकलां बामनवास के लिये निशुल्क दान दी गयी भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दान पत्र दिनांक 19.01.1980 से पूर्व की स्थित बहाल करते हुए, राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार प्रार्थी के नाम अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दान पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त दान पत्र के तहत प्रथम पक्ष चिंरजी पुत्र रामप्रसाद द्वारा द्वितीय पक्ष अध्यक्ष व्यापार मण्डल को विवादित आराजीयात दान की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का पुनः अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अध्यक्ष व्यापार मण्डल बामनवास को पक्षकार नहीं बनाना ज्ञात हुआ। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत उप नियम 20 (सी) आरएलआर आंवटन नियम 1970 संशोधित नियम 2012 के अर्न्तगत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। उक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 का उप नियम 20 सी का अवलोकन किया गया। उप-नियम 20 सी के अनुसार " किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अभ्यर्पित भूमि का प्रतिवर्तन इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी कोई भी व्यक्ति जिसने अपने काश्तकारी अधिकार किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी प्रतिफल या प्रतिकर के बिना राज्य सरकार के पक्ष में अभ्यर्पित किये है और ऐसी भूमि का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मूल प्रयोग के लिए भूमि प्रतिवर्तित आवेदन कर सकेगा।


आवेदक पत्र विचार करने के पश्चात् कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है, वह आवेदक के पक्ष में प्रतिवर्तन का आदेश जारी कर सकेगा और ऐसे प्रतिवर्तन पर भूमि की स्थिति वही होगी, जो उसके काश्तकारी अधिकार समर्पित करने के पूर्व थी। " उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष के पिता द्वारा विवादित आराजीयात अध्यक्ष व्यापार मण्डल बामनवास पट्टीकलां को दान की गई है तथा अध्यक्ष व्यापार मण्डल बामनवास राज्य सरकार का कोई भाग एवं एजेन्सी नहीं है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र का भी अवलोकन किया गया। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार प्रथम पक्ष अध्यक्ष व्यापार मण्डल बामनवास ने द्वितीय पक्ष कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर सिटी को 54,000 (चौवन हजार) ₹0 में

विक्रय की है। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार प्रथम पक्ष अध्यक्ष व्यापार मण्डल बामनवास ने चौवन हजार रू० के प्रतिफल पर उक्त विवादित आराजीयात कृषि उपज मण्डी गंगापुर सिटी को विक्रय की है। उप-नियम 20 सी के तहत प्रतिफल प्राप्त ना करना तथा राज्य सरकार के पक्ष में अमयर्पित करना आवश्यक शर्तें है। जिसकी पालना होने के पश्चात् ही जिला कलेक्टर को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त शर्तों की पालना नहीं की गई है।

प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त प्रकरण में नोटिस अर्न्तगत धारा 80 सी०पी०सी० व धारा 31 कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अर्न्तगत अप्रार्थी पक्ष को जारी किया गया है। सीपीसी की धारा 80 के अर्न्तगत " लोक अधिकारी के विरुद्ध (कोई वाद जब तक) संस्थित नहीं किया जाएगा) जब तक वाद-हेतुक का , वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका कथन करने वाली लिखित सूचना परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के, और लोक अधिकारी की दशा में उसे परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का अवसान न हो गया हो, और वाद पत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना ऐसे परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है। " तथा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 31 (2) के अनुसार प्रत्येक वाद यदि अभिकथित वाद हेतु उत्पन्न होने की तारीख से छः माह के भीतर-भीतर प्रस्तुत नहीं कर दिया गया हो तो, खारिज कर दिया जायेगा। पत्रावली में संलग्न नोटिस अर्न्तगत धारा 80 सी०पी०सी० व धारा 31 कृषि उपज मण्डी अधिनियम नोटिस दिनांक 01/07/2022 व वर्ष 2017 का है। अर्थात् एक नोटिस न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् का है तथा दूसरा नोटिस चार वर्ष पूर्व का है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उप-नियम 20 सी में वर्णित शर्तें उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होती है तथा धारा 31 (2) के तहत 6 माह की अवधि पूर्व में ही समाप्त हो जाने के कारण विधि द्वारा वर्जित हो गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 तथा धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी